<u>**प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।**</u>

प्रशा० आदेश संख्या : 01 /2022, दिनांक–03.01.2022

<u>**आदेश**</u>

कोविड–19 के बढ़ते केसेस को दृष्टिगत् रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्र सं0–2420 / LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–02.01.2022 द्वारा दिनांक–03.01.2022 से अग्रिम आदेश तक जनपद न्यायालय में कार्य निष्पादन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी परिसर में कार्यरत् न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय सम्भल तथा बाह्य न्यायालय गुन्नौर दिनांक–03.01.2022 से अग्रिम आदेश तक निम्न प्रकार कार्य सम्पादित करेंगे :–

1. सभी न्यायालयों द्वारा सभी प्रकार के न्यायिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्य वर्तमान प्राविधानों, नियमों, दिशा–निर्देशों एवं सर्कुलर के अनुरूप निष्पादित किये जायेंगे।
2. सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय कक्ष में न्यायालय की कार्यवाही के दौरान हर सम्भव प्रयास करना सुनिश्चित करें कि एक समय में कम–से–कम वादकारी एवं अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित हों तथा उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों से शारीरिक दूरी एवं मॉस्क लगाये जाने संबंधी गाइड लाइन्स का भी अनुपालन सुनिश्चित करायें। एक समय में एक ही वाद सुनवाई की जायेगी तथा उसी वाद से संबंधित पक्षकारगण व अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित होंगे, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। न्यायालय कक्ष में केवल छः कुर्सियां पर्याप्त दूरी पर अधिवक्तागण हेतु रखी जायेंगी।
3. पीठासीन अधिकारीगण न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रतिबंधित कर सकेंगे तथा पीठसीन अधिकारी न्यायालय कक्ष में अधिवक्तागण के सम्बोधन हेतु स्थान नियत करने हेतु भी स्वतंत्र होंगे।
4. प्रभारी अधिकारी नजारत एवं केन्द्रीय नाजिर न्यायालय खुलने से पूर्व प्रतिदिन न्यायालय परिसर को पूर्ण रूप से सेनेटाइजेशन एवं साफ–सफाई चिकित्सीय मानकों के अनुरूप करायी जानी सुनिश्चित करेंगे। सेनेटाइजेशन एवं साफ–सफाई का कार्य जिला मजिस्ट्रेट / सी0एम0ओ0 / सी0एम0एस0 के सहयोग से कराया जायेगा। बाह्य न्यायालय सम्भल व गुन्नौर की पीठासीन अधिकारीगण भी उपरोक्तानुसार न्यायालय खुलने से पूर्व प्रतिदिन न्यायालय परिसर को पूर्ण रूप से सेनेटाइजेशन एवं साफ–सफाई चिकित्सीय मानकों के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट / सी0एम0ओ0 / सी0एम0एस0 के सहयोग से करायी जानी सुनिश्चित करेंगे।
5. जिला मजिस्ट्रेट / सी0एम0ओ0 / सी0एम0एस0 को निर्देशित किया जाता है कि वह जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालय सम्भल व गुन्नौर के परिसर का प्रतिदिन न्यायालय खुलने के पूर्व सेनेटाइजेशन एवं साफ–सफाई का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. जिला मजिस्ट्रेट / सी0एम0ओ0 / सी0एम0एस0 को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग करायी जानी सुनिश्चित करें।
7. सभी कर्मचारीगण न्यायालय / कार्यालय में मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे एवं न्यायालय परिसर में आने वाले अधिवक्तागण / वादकारीगण का भी न्यायालय परिसर में मास्क अनिवार्य रूप से पहनने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।
8. न्यायालय में केवल उन्हीं वादकारियों को प्रवेश अनुमन्य होगा, जिनके केस न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत होंगे।
9. कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, वादकारीगण व रजिस्टर्ड क्लर्क सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. यदि न्यायिक अधिकारी / विद्वान् अधिवक्ता वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करना चाहें तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से भी सुनवाई की जा सकेगी।
11. न्यायिक सेवा केन्द्र(सेन्ट्रेलाइज फाइलिंग काउन्टर) पर सभी नये वाद तथा प्रार्थना–पत्र व लिखित बहस अधिवक्तागण / वादकारीगण से प्रत्येक कार्य दिवस में 12.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। इसके पश्चात् उक्त नये वादों व प्रार्थना–पत्रों को सी.आई.एस. पर पंजीकृत किया जायेगा। प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता एवं वादकारियों का विवरण एवं मोबाइल नम्बर, ईमेल आई.डी. अंकित किया

जाना आवश्यक होगा। कोई कमी होने पर संबंधित अधिवक्ता को उसी दिन सूचित किया जायेगा, सिस्टम असिस्टेन्ट इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

12. जिला मजिस्ट्रेट व मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन जनपद में कोविड–19 के संक्रमण के स्तर के संबंध में अपनी स्पष्ट आख्या न्यायालय को उपलब्ध करायेंगे और यदि कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत न्यायालयों को बन्द किए जाने की आवश्यता हो तो अविलम्ब न्यायालय को सूचित करेंगे।

13. न्यायालय परिसर में सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण व वादकारीगण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जुडीशियल साइड में दिए गए निर्देशों तथा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. न्यायालय परिसर में सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण व वादकारीगण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जुडीशियल साइड में दिए गए निर्देशों तथा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. न्यायालय परिसर में सभी के द्वारा सामाजिक दूरी/दैहिक दूरी का पूर्णतया अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. प्रभारी अधिकारी विवरण निस्तारित होने वाले वादों और प्रार्थना–पत्रों के संबंध में सूचना प्रतिदिन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ई–सर्विस पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की ऑफिसियल वेबसाईट पर अपलोड की जाये।

नोट– उपरोक्त समस्त व्यवस्था बाह्य न्यायालय सम्भल एवं बाह्य न्यायालय गुन्नौर में भी पीठासीन अधिकारी/उपनाजिर द्वारा करायी जानी सुनिश्चित की जाये।

Bhanudeo 03/01/2022

(भानु देव शर्मा)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी,
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
3. जिलाधिकारी, सम्भल,
4. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल/चिकित्सा अधीक्षक, सम्भल,
6. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
7. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्भल,
8. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण/सचिवगण को,
9. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सम्भल,

Bhanudeo 03/01/2022

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।